International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

सर्वोच्च न्यायालय बनाम भारत सरकारः मुख्य न्यायाधीश डी0वाई0 चन्द्रचूड़ के फैसलों के विषेष सन्दर्भ में

डॉ. राकेश वर्मा

सहायक आचार्य एवं कार्यवाहक प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय जैतारण ब्यावर

संक्षिप्तीकरणः

1947 में भारत औपनिवेशिक ताकतों के चंगुल से पूर्णतः मुक्त हुआ। इससे पूर्व अंग्रेजी हुकुमत द्वारा भारत के बंगाल के फोर्ट विलियम में 1774 में 1773 के रेंग्यूलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जा चुकी थी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ और संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के साथ ही 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। वर्तमान भवन(1958) में आने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की समस्त गतिविधियाँ संसद भवन से संचालित होनी थी। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। संविधान बनने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश समेत 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। समय–समय पर न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोत्तरी की गई। जैसे 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 की गई। मेरा इस लेख को लिखने का निमित्त यह है कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के मुद्रा और हस्ताक्षरों के द्वारा होती है। भारत में विविध समय और कालों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका में द्वन्द्व देखा गया है। इस द्वन्द्व में जहां सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई तथा कहीं मौकों पर व्यवस्थापिका ने कानून बनाकर अपने आपको सर्वोच्च संस्था के रूप में प्रकट करने में कोई कोर–कसर नही छोड़ी। भारतीय संसद ब्रिटेन की संसद की तरह संप्रभु नही है, लेकिन कही बार अपने निर्णयों से संसद और न्यायपालिका में टकराव देखने को मिलता है। संवैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक बताया गया है जो वास्तव में है या नही का उत्तर ढूंढ़ना आलेख का प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंतराव चंद्रचूड़ ने कई मौकों पर देश के सामने इस बात को प्रकट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय न केवल संविधान का संरक्षक ही है वरन् सरकारों को कई बार आईना दिखाने का काम भी करता है।

संकेताक्षरः सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, चुनाव, चयन, कॉलेजियम, संविधान संशोधन, स्वतंत्रता, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक पृष्टभूमि, सम्प्रभुत्ता इत्यादि।

विस्तारीकरणः

भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक हम सर्वोच्च न्यायालय और सरकारों के बीच टकराव का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में संविधान की सर्वोच्चता और न्यायापालिका संविधान के संरक्षक की भूमिका को प्रकट करना लक्ष्य रहेगा। भारत के संविधान निर्माण और उसके एक वर्ष की अवधि के भीतर संविधान में संषोधन करना पड़ा तथा साथ ही मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी जाने लगे। यद्यपि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का लागू करना और न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या और उसका संरक्षण करना है। व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त दलों की सरकारें अपने अपने हिसाब से संविधान का अर्थ लगाने लग जाती हैं। चाही वो काँग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा या फिर गठबंधन की। चाहे वो इंदिरा गाँधी की सरकार रही हो या फिर वर्तमान मोदी सरकार हो। न्यायपालिका ने गाहे–बगाहे कई बार प्रकट भी कर दिया कि अगर कार्यपालिका अपना काम सही ढ़ंग से अर्थात् संवैधानिक मूल्यों के आधार पर नहीं करेगी तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। न्याय की मूल नैतिक मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले उसके साथ किसी भी प्रकार अनैतिक भेदभाव न हो और प्रत्येक व्यक्ति गरिमापूर्वक अपना जीवन व्यापन कर सकें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की स्पष्ट धारणा प्रकट होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिले। सबकों स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्राप्त हो जो संविधान के उपबंधों के अधीन रहे। व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण हो, राष्ट्र की एकता और अखण्डता अक्षुण्ण रहे। अब जब भारत का संविधान ही हमें अनेकों अधिकार प्रदान करता है, तो इनका संरक्षण भी जरूरी है। इसके लिए भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था दी है। अनुच्छेद 124 से लेकर 151 तक न्याय और न्यायपालिका के उपबंधों को उल्लेखित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने की बात करता है। भारतीय संविधान यद्यपि अमेरिका की तरह चेक एण्ड बैलेंस की पद्धति का अक्षरशः तो अनुसरण नहीं करता परन्तु सैद्धांतिक दृष्टि से किसी भी अंग के अति हस्तक्षेप को भी नहीं मानता। यदि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका काम नहीं करती है तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान का संरक्षण करती है। न्यायिक सक्रियतावाद ने कभी–कभी भारतीय राजनीति में भूचाल लाने का काम भी किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 25–30

साल तक भारत में एकदलीय सरकार का प्रभूत्व रहा था। इंदिरा गांधी जो अपने प्रारंभिक राजनीतिक काल में गूंगी गुड़िया की छवि के रूप में स्वीकारी जाती थी उसने 1966 से 1977 वाले प्रधानमंत्रित्व काल में भारत की लौह महिला का रूप धारण कर लिया था। एक दलीय प्रभुत्व वाली स्थिति में न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव होता भी था तो व्यवस्थापिका इतनी मजबूत थी कि कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति को उभरने नही दिया।

1967 से 1970 के बीच कुछ निर्णयों ने गंभीर वाद–विवाद की स्थिति पैदा की। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले मामले ने पूर्व के तीन फैसलों के विरूद्ध यह कहा कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है। इसी दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अध्यादेश तथा प्रीविपर्सेज की समाप्ति के अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। परिणामतः सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय पर देष की समाजवादी नीतियों तथा आर्थिक विकास में बाधक बनने का और न्यायाधीशों के रूढ़िवादी होने का आरोप लगा दिया। साथ ही संसद के कुछ सदस्यों ने न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की मांग की जिसका परिणाम हुआ कि लगभग 100 वकीलों के एक दल जिनमें बम्बई (मुम्बई) और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.सी. छागला और सरजू प्रसाद आदि ने महाभियोग के प्रस्ताव से मुकाबला करने की बात कही और कहा कि यह प्रस्ताव न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए घातक है।

1971 में मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी उसने न्यायपालिका की शक्ति को कम करने के लिए दो महत्वपूर्ण संषोधन कर दिए। एक 24वां संविधान संशोधन जिसके तहत मूल अधिकारों को संसद की दया का पात्र बना दिया। दूसरा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा न्यायपालिका के स्थान को गौण कर दिया। इस संशोधन ने न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया को जटिल बना दिया परन्तु आगामी संशोधन द्वारा पुनः न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति को पुनर्जीवित कर दिया। भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित करने की बात करता है, परन्तु सरकारें अपनी निजी हितों को ध्यान में रखकर या सामाजिक कल्याण का हवाला देकर ऐसे काम करती है, जिससे न्यायपालिका की शक्ति को कम करके आंका जा सके।

संसद का काम कानून बनाना होता है तथा जिस दल के बहुमत वाली सरकार होती है, वह अपने मन माफिक कानून बना लेते है। यदि सरकारों के विरूद्ध न्यायपालिका ने या न्यायाधीशों की बैंच के सदस्यों ने सरकारों के विरूद्ध कोई निर्णय लिया हो तो सरकार न्यायाधीशों से निजी तौर पर बदला लेने से भी नहीं हिचकती। कभी किसी न्यायाधीश के फैसले ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया हो या सरकार की नीतियों के पक्ष में वक्तव्य दिया हो तो उनको ईनाम देने का काम भी सरकारों द्वारा किया गया है। यदि किसी फैसले से सरकार को निराशा हाथ लगी हो तो उक्त न्यायाधीशों को अपनी वरिष्ठता से होने वाले पदोन्नति को भी खोया है। उदाहरणतः 1973 में सरकार मुख्य न्यायाधीष नियुक्ति में पद की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया जो कि जे.एम.शेलट, के. एस.हेगड़े तथा ए.एन.ग्रोवर से कनिष्ठ थे। उपरोक्त वरिष्ठ न्यायाधीषों ने गोलकनाथ मामले, बैंकों के राष्ट्रीयकरण ओर प्रीविपर्सेस के मामले में सरकार की इच्छा के विरूद्ध अपना फैसला लिखा था। इसी प्रकार का मामला 1977 में आया जिसमें एच. आर. खन्ना के वजाय हम्मीदुल्लाह बैग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया क्योंकि खन्ना ने 1976 में बन्दी–प्रत्यक्षीकरण मामले में सरकार के विपरीत निर्णय सुनाया था। वरिष्ठता का उल्लंघन करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध होता है। 99वें संविधान संशोधन 2014 द्वारा न्यायाधीशों की की नियुक्ति हेतु एक स्वतंत्र आयोग के गठन करने का संषोधन किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति पाने के इच्छुक होते हैं, तथा वे सत्तारूढ़ दलों से टकराव नही लेना चाहते। ऐसे ही कई न्यायाधीशों की इच्छा सेवानिवृत्ति के बाद राजनैतिक और प्रशासनिक पद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। परिणामतः वे किसी न किसी तरह सत्तारूढ़ दल के पक्ष में अपने फैसले देने का विचार रखते हैं। यद्यपि न्यायपालिका के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाना सर्वोच्च न्यायालय की तोहीन है परन्तु यह भी स्वीकार करना होगा कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद जब किसी राजनैतिक पद पर बैठाया जाता है तो संदेह बढ़ जाता है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने सर्वोच्च न्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश जस्टिस फजल अली को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। 1998 में कांग्रेस सरकार ने जस्टिस मिश्रा को राज्यसभा का सदस्य बनाया। सितम्बर 2014 में जस्टिस पी. सदाशिवम को मोदी सरकार ने केरल का राज्यपाल बनाया, फातिमा बीबी को राज्यपाल व मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया। ऐसा ही एक उदाहरण सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को मार्च 2020 में राज्यसभा का सदस्य मनोनित किया गया। गोगोई की बैंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने जस्टिस अब्दुल नजीर को 2023 में आंध्रप्रदेश का राज्यपाल बनाया जिसका, विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। एबीपी न्यूज चेनल पर शशांक देव सुधी 30 मई 2023 के लेख ''सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजो के लिए राजनीतिक नियुक्ति में होना चाहिए कुलिंग ऑफ पीरियड'' में बताया कि बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका में मांग की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी रिटायर्ड न्यायाधीश की राजनीतिक नियुक्ति को स्वीकार करने से पहले उसे 2 साल के कूलिंग ऑफ अवधि में रखा जाए। इसका कारण है कि जब कोई न्यायाधीश सरकार के पक्ष या विपक्ष में फैसला देता है तो जनता की यह धारणा बन जाती है कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश को मिली राजनीतिक नियुक्ति सरकार के फैसले के पक्ष में आने की वजह से तो नहीं हुई। इस धारणा को रोकने के लिए 2 से 5 साल का कुलिंग ऑफ पीरियड रखा जाना चाहिए ताकि न्यायाधीश और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर अंगुली ना उठे। साथ ही न्यायाधीश फैसला करते समय राजनीतिक नियुक्ति के सपने न देख सके, क्योंकि 5 साल में तो सरकार बदल जाएगी। **भास्कर न्यूज पेपर को** दिए साक्षात्कार में मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचूड़ ने कहा कि जब कोई पूर्व जज राजनीति में जाता है तो उसे थोड़ा समय देना चाहिए। उसके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी है।

मेरा यह लेख विशेषतया सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ के फैसलों के सन्दर्भ पर आधारित है। जस्टिस चन्द्रचूड़ के फैसलें न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर छा जाते हैं। मुख्य न्यायाधीष डी.वाई. चन्द्रचूड़ की नियुक्ति 9 नवम्बर 2022 को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुई। इनसे पूर्व इनके पिता यशवंत विष्णु चन्द्रचूड़ भी देश के प्रधान न्यायाधीश रहे चुके है।

मुख्य न्यायाधीष डी. वाई. चन्द्रचूड़ का सामान्य जीवन परिचयः

व्यक्तिगत जीवन पर अगर बात की जाए तो मुख्य न्यायाधीश बेहद संजीदा प्रतीत होते है। यह बात **द वीक** में दिए गए वक्तव्य **"Working for others is a great solace for a judge"** से पता चलती है। बचपन में वे शर्मीले स्वभाव के थे, उनके घर पर काम करने वाली महाराष्ट्र की निरक्षर महिला का प्रभाव पड़ा जो उनको ग्रामीण भारत का दर्शन कराती थी। वह महिला बेहद उदार और संजीदा थी। मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचूड़ के अपने पिता के साथ मित्रवत व्यवहार था। अपनी पूर्व पत्नी रश्मि के 2007 में निधन के बाद 2008 में ही कानून की एक जानकार कल्पना दास से विवाह कर लिया। पूर्व पत्नी से उनके दो संतान है अभिनव व चिंतन चन्द्रचूड़, जो पेशे से कानून के विशेषज्ञ है। जस्टिस चन्द्रचूड़ ने स्पेशल चाइल्ड दो बच्चियों को गोद भी ले रखा है। दैनिक भास्कर ने जब साक्षात्कार में पूछा कि आपने स्पेशल चाइल्ड दो बच्चियों को गोद भी ले रखा है, इसके पीछे क्या सोच है। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि हमने उन्हें नहीं अपनाया बल्कि बच्चियों ने उन्हें अपनाया है। यह उनकी बड़ी सोच को दिखाता है, साथ ही उन्होनें कहा कि दोनों बच्चियां दिमाग से बहुत तेज हैं तथा कम्प्यूटर के मामले में सहायता करती हैं। बेटी के कहने पर मुख्य न्यायाधीश और उनकी पत्नी ने खाने और पहनने में वीगन लाइफस्टाइल अपनाया है। बच्चों के कैरियर के प्रश्न पर कहा कि बच्चे जो करें दिल से करें मैं राय दे सकता हूँ।

मुख्य न्यायाधीष डी. वाई. चन्द्रचूड़ की बैंच या उस बैंच का फैसला जिसके वो सदस्य रहे हैं

मुख्य न्यायाधीश द्वारा और उनकी बैंच जिसके की वो वरिष्ठ सदस्य या सदस्य रहे हैं, के फैसले अपने आप में एक अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं। उनके फैसले बिना किसी पक्षपात के सरकारों को आईना दिखाते तथा जनता में न्यायपालिका के प्रति विवास को प्रगाढ़ बनाते हुए प्रतीत होते हैं। उनके फैसले किसी पूर्व न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसलों से विशेष प्रभावित हुए नहीं लगते तथा संविधान को सर्वोच्च रखकर ही फैसले सुनाते हैं। इसी की एक बानगी है कि उन्होनें अपने पिता पूर्व न्यायाधीश वाई. वी. चन्द्रचूड़ के फैसलों को पलटने में भी कोई शंका नहीं करी।

भारतीय लोकतंत्र के चार स्तम्भ होते हैं, जिनसे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। 2014 से 2024 तक हमें मजबूत विपक्ष की कमी खली और मीडिया रूपी स्तम्भ सोया हुआ या फिर डरा हुआ प्रतीत हुआ। सरकार से प्रश्न पूछने की या तो हिम्मत नहीं हुई या फिर पूछने में बिल्कुल भी रूची नहीं दिखाई। सरकारों को आईना दिखाने के लिए मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है, जो बिल्कुल नहीं दिखा। मजबूत विपक्ष के अभाव में हम न्यायापालिका की तरफ देखते हैं और अपेक्षा करते हैं कि सरकारों के द्वारा कोई भी निर्णय विपक्ष की अपेक्षा के अनुकूल नहीं होगा तो न्यायालय में अपील की जा सकेगी। परिणामतः प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण न्यायपालिका कहीं न कहीं हस्तक्षेप करने लग जाता है जिससे सरकार और न्याापालिका में टकराव पैदा हो जाता है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के फैसले पूरे देश को प्रभावित करते हैं। उनके द्वारा या उनकी बैंच द्वारा दिए गए फैसलों के आधार पर उनकी न्याय की मूल भावना को जानने का प्रयास किया जाएगा।

- **निजता के अधिकार पर फैसलाः**— 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया यद्यपि चन्द्रचूड़ उस समय मुख्य न्यायाधीश न होकर बैंच के सदस्य मात्र थे। उन्होंनें फैसले में जो लिखा वो उनके पिता के द्वारा पूर्व में दिए गए फैसले के विपरीत था। उन्होनें लिखा कि निजता का अधिकार संविधान में निहित है और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह फैसला यद्यपि रूढ़िवादियों के अनुसार अनुसार सही हो या गलत साथ ही पारिवारिक ढ़ाँचे के अनुकूल न भी हो, परन्तु वर्तमान समय की मांग और बदलते परिवेश और संक्रमणकालीन परिस्थियों के अनुसार ठीक प्रतीत होता है।
- **अविवाहित महिलाओं का गर्भपातः—** 22 जुलाई 2022 के फैसले में अविवाहित महिलाएं गर्भपात करवा सकती हैं। फैसले में यह भी इंगित है कि गर्भपात सुरक्षित हो, क्योंकि यह उस महिला की निजी स्वयत्तता और आजादी का उल्लंघन होगा। इसके लिए शादीशुदा के लिए जो लाभ हैं, उनसे अविवाहित महिला को वंचित नहीं किया जा सकता। इस फैसले को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अंतर्गत माना गया है। परन्तु इसका नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि बलात्कार पीड़िताओं को जबरदस्ती गर्भपात के लिए दबाया जा सकता है।
- **समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करनाः—** 6 सितम्बर 2018 को समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। यद्यपि प्राकृतिक रूप से गलत है, परन्तु संविधान की भावना स्वतंत्रता और जीवन के अधिकारों की बात करती है। सितम्बर 2022 को समलैंगिकता पर भाषण देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने भर से समानता नहीं आ जायेगी बल्कि इसे घरों तक, काम करने वाली जगहों तक और सार्वजनिक जगहों तक ले जाना होगा।

- **संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाना वैधः–** जस्टिस चन्द्रचूड़ अनुच्छेद 370 को हटाने वाली पीठ के सदस्य रहे हैं। उन्होंने 370 को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की पीठ के सर्वसम्मत फेसले की आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने से इंकार कर दिया साथ ही कहा कि जज किसी भी मामले का फैसला संविधान और कानून के अनुसार करते हैं। एक बार सुनाया गया फैसला देश की सम्पत्ति बन जाता है।
- **सबरीमाला मंदिर प्रवेष मामलाः–** साल 2019 में सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्र की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर फैसला सुनाया कि 10 से 50 वर्ष की आयु महिलाओं को मंदिर में न जाने देना संवैधानिक अधिकारों का तथा यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है। फैसला सुनाने वाली पीठ जिसमें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचूड़ भी शामिल थे।
- **अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर मामलाः–** वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचूड़ अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर मामले में फैसला सुनाने वाली पीठ के सदस्य थे। यह विवाद कई वर्षों से भारत की गंगा जमुनी तहजीब वाली संस्कृति पर कालिख पोत रहा था। जिसका सम्पादन बिना किसी खून खराबे के साथ हुआ।
- **वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक करार देनाः–** सितम्बर 2022 में जस्टिस चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पत्नियों के साथ पति द्वारा यौन हिंसा या बलात्कार को आपराधिक करार दिया गया। जस्टिस चन्द्रचूड ने फैसले में कहा कि बलात्कार का अर्थ वैवाहिक सहित समझा जाना चाहिए।
- **सेना में महिलाओं की नियुक्ति का मामलाः–** जस्टिस चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेना में महिलाओं की नियुक्ति को लेकर कहा कि स्थायी कमीशन के लिए योग्य महिला सेना और नौसेना शॉर्ट सर्विस अधिकारियों को खोजने के लिए सरकार की अनिच्छा की आलोचना की। उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया कि महिलाएं सेक्स स्टेरियोटाइप के रूप में पुरूषों की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर है।
- **आधार को मनी बिल के रूप में पास कराने को असंवैधानिक करार दियाः–** जस्टिस चन्द्रचूड़ ने कहा था कि इसे धन विधेयक के रूप में असंवैधानिक रूप पारित किया गया है। आधार को मनी बिल के रूप में पास कराना संविधान के साथ धोखा है।
- **भीमा कोरेगांव मामलाः–** वर्तमान जस्टिस चंद्रचूड़ ने तीन सदस्य पीठ के बाकी दो सदस्यों से अलग राय रखते हुए कहा कि अनुमानों के आधार पर असहमति की बलि नही दी जा सकती। असहमति जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक होता है। लोगों को पसन्द न आने वाले मुद्दों को उठाने वालों को सताकर विपक्ष की आवाज को दबाया नही जा सकता।
- **अन्य प्रमुख फैसलेः–** चन्द्रचूड़ ने मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद कई ऐसे फैसले सुनाये हैं जो केन्द्र सरकार और उसकी एजेन्सियों के खिलाफ लगते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। अक्टूबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना और एस वीएन भट्टी की पीठ ने सीबीआई और ईडी को लताड़ लगाते हुए कहा कि आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को अनिश्चित काल के लिए जेल में नही रखा जा सकता। इसी तरह न्यूज क्लिक के सम्पादक प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के मामले में भी दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए साथ ही उनको रिहा करने के आदेश। यूएपीए के तहत गिरफ्तारी और उनके वकील को बिना सूचित किए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। मणिपुर केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय पुलिस को फटकार लगाई। जस्टिस चन्द्रचूड़ ने निर्वस्त्र कर घुमाई गई महिलाओं की एफआईआर दर्ज करने में चौदह दिन लगाने हेतु खिंचाई करी। मनी लॉड्रिंग मामले में भी प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाते हुए हिदायत दी कोई भी काम प्रतिशोध के रूप में न किया जाए बल्कि पूरी निष्पक्षता से जांच की जाए। राहुल गाँधी की सदस्यता रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय को फटकार लगाई जो सर्वोच्च न्यायालय को एकमात्र अभिलेख न्यायालय होने का प्रमाण देता है। इलेक्टॉरल बॉण्ड के मामले में सीबीआई को आईना दिखाना भी सर्वोच्च न्यायालय की शाख को मजबूत करता है

सारांशः

जस्टिस चन्द्रचूड़ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में तथा न्यायिक पीठ के सदस्य के तौर पर दिए गये जितने भी फैसले हैं, वो न्यायपालिका की निडरता और ताकत को प्रदर्शित करते हैं। ये फैसले यह भी महसूस कराते हैं कि भारतीय संविधान की ताकत क्या है? और सरकारी संस्थाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मुख्य न्यायधीश का पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने उच्चतम न्यायालय की पारदर्शिता हेतु एलजीबीटीक्यूआईए और इस समुदाय को शीर्ष अदालत में स्थान देने की दिषा में कदम उठाए। दिल्ली सरकार के मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं, परन्तु केन्द्र सरकार ने यह शक्ति अपने कानून द्वारा उपराज्यपाल को सौंप दी। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को बहाल नहीं करने का फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि उद्धव सरकार ने सदन में मत विभाजन का सामना किये बिना ही इस्तीफा दे दिया था। शीर्ष अदालत की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करने का काम किया। मुख्य न्यायाधीश ने अहम उपलब्धियों तथा संविधान पीठ की सुनवाई की लाईव स्ट्रीमिंग दिखाने की शुरूआत की, केस लिस्टिंग को व्यवस्थित करने और तकनीकि दृष्टि से उच्चतम न्यायालय को भी सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयास किए हैं, इस हेतु ए.आइ और आई.टी. के माध्यम से ज्यूडिशियरी का लैंडस्केप बदल दिया। एक

आदमी केस को पढ़ने में 3 घंटे या एक दिन लगा देता है, और गलतियां भी कर देता है, यह काम ए.आइ एक मिनट में कर देता है। इस हेतु आई.आई.टी. मद्रास के साथ एमओयू किया है। दैनिक भास्कर में दिए साक्षात्कार में जज नियुक्ति पर मतभेद के बारे में बताया कि जज नियुक्ति पूरी प्रक्रिया को सम्पन्न करके की जाती है, परन्तु एक परिपक्व ज्यूडिशियल सिस्टम के तहत अगर केन्द्र या राज्य सरकार की आपत्ति आती है, तो बातचीत करके मतभेद समाप्त किए जाते हैं। मुख्य न्यायधीश ने भारतीय न्यायपालिका को सबसे अच्छी बताया है। कोर्ट की लम्बी छुट्टियों के बारे में जस्टिस चन्द्रचूड़ ने बताया कि इन छुट्टियों का उपभोग मौज मस्ती में नहीं होता जो जज फैसले सुनाते हैं वो अपनी तैयारियां करते हैं। शनिवार रविवार को जज पैंडिग फैसले लिखते हैं। आम आदमी कोर्ट जाने से डरता क्यों है? का जवाब दिया कि कोर्ट की भाषा सहज नहीं है, फलतः वह आम आदमी की समझ में नहीं आती तथा इसे सहज होना चाहिए। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने ऐसा सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात की जहाँ केसों की संख्या न देखी जाए बल्कि आम आदमी की कोर्ट तक पहुँच हो सके, परिणामस्वरूप लोक अदालतें खोली जानें लगी। मुख्य न्यायाधीश ने हिन्दी और अन्य स्थानीय भाषाओं में भी कामकाज का समर्थन किया है। लेकिन भारत में अनेक भाषाओं में काम करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ विविधता वाली संस्कृति है। अतः एक भाषा में काम करना जरूरी हो जाता है इसलिए अंग्रेजी भाषा में काम होता है। केस आते ही तय हो जाए इस प्रश्न के जवाब में कहा कि ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। सबसे ज्यादा लिटिगेशन विवाद सरकार लाती है, इसके लिए लिटिगेशन पॉलिसी बननी चाहिए जिस पर सरकार काम कर रही है। जैसे सरकार सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ से कम के टैक्स मामले न आएं, और आ गए तो वापस लगी।

संदर्भः

1. जे.सी.जोहरी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था।
2. अभय प्रसाद सिंह एवं कृष्ण मुरारी, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया।
3. एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था।
4. एस.एम.सईद,भारतीयराजनीतिकव्यवस्था।
5. ब्रजेश कुमार सिंह, ब्लॉगर न्यूज 18।
6. शशांक देव सुधी, एबीपी न्यूज आलेख 30 मई 2023।
7. निधी अविनाश, एडिटर जागरण दिनांक 01.01.2024।
8. जनसत्ता न्यूज 12 सितम्बर 2023।
9. सतीश सिंह, स्टेट एडिटर, मध्यप्रदेश दैनिक भास्कर दिनांक 7 अगस्त 2024।
10. अंजली मथाई, द वीक न्यूज पेपर दिनांक 29 अक्टूबर 2023।